छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम्)

खण्ड – 6

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 25 फरवरी, 2026 को सदन में प्रस्तुत)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय–7 के नियम–51 के अनुसार इस संकलन में नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है ।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [..................................] के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभागों के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर,
दिनांक : 12 फरवरी, 2026.

दिनेश शर्मा
सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1–6
2.	नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	7–17
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	18–29

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नये शराब दुकान तथा उनका संचालन
[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

1. (क्र. 20) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में नवम्बर, 2025 तक कितने देशी व विदेशी व प्रीमियम शॉप नये शराब दुकान खोले गये है ? (ख)इन नये खोले गये देशी विदेशी प्रीमियम शॉप शराब दुकान के संचालन के लिए क्या नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं? यदि नहीं तो इनका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है, कृपया जानकारी उपलब्ध करायें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [(क) जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2024-25 मे देशी एवं विदेशी तथा प्रीमियम मदिरा की नवीन दुकान नही खोली गई है अपितु वर्ष 2025-26 अंतर्गत प्रीमियम विदेशी मदिरा की 01 नवीन दुकान खोली गई है। (ख) नवीन खोले गये प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान सारंगढ़ हेतु 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 01 मल्टीवर्कर, एवं 02 सुरक्षाकर्मी के नवीन पद स्वीकृत किये गये है उन पदो पर नवीन नियुक्तिया की जाकर एवं 02 विक्रयकर्ताओ को अन्य मदिरादुकान से प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान मे स्थानांतरित कर मदिरा दुकान का संचालन किया जा रहा है जिसकी जानकारी संलग्न **प्रपत्र-अ** अनुसार है।**]** (क) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में देशी एवं विदेशी तथा प्रीमियम मदिरा की नवीन दुकान नहीं खोली गई है वर्ष 2025-26 अंतर्गत प्रीमियम विदेशी मदिरा की 01 नवीन दुकान खोली गई है। (ख) नवीन खोले गये प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान सारंगढ़ के संचालन हेतु 01 मुख्यविक्रयकर्ता, 01 मल्टीवर्कर, 02 सुरक्षाकर्मी तथा 02 विक्रयकर्ताओं को मैनपावर एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जानकारी संलग्न **प्रपत्र** अनुसार है।

परिशिष्ट - एक **[पुनरीक्षित उत्तर]**

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत आयुष्मान योजना के तहत गड़बड़ी की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (क्र. 265) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत आयुष्मान योजना, पी.एम. जन आरोग्य योजना के तहत गलत क्लेम प्रस्तुत करने, ईलाज में अनियमितता तथा योजना में आर्थिक अनियमितता करने वाले कितने अस्पतालों के विरूद्ध जनवरी, 2025 से नवम्बर, 2025 तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अस्पताल का नाम, पता सहित जानकारी देवें ? (ख) योजना में अनियमितता करने वाले अस्पतालों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ? क्या कार्यवाही की गई ? कितने अस्पतालों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया ? समुचित जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : [(क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**]** (क)जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत आयुष्मान योजना, पी.एम. जन आरोग्य योजना के तहत गलत क्लेम प्रस्तुत करने, ईलाज में अनियमितता तथा योजना में आर्थिक अनियमितता करने वाले अस्पतालों के विरूद्ध जनवरी, 2025 से नवम्बर, 2025 तक कोई शिकायत प्राप्त

नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ख) उत्तर 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

नुवोको सीमेंट संयंत्र, ग्राम सोनाडीह, तहसील बलौदाबाजार को संयंत्र का खनन अनुबंध के तहत भूमि-आधिपत्य

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (क्र. 287) श्री संदीप साहू : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत संचालित नुवोको सीमेंट संयंत्र, ग्राम सोनाडीह, तहसील बलौदाबाजार को संयंत्र के खनन अनुबंध के तहत क्या और कितनी आदिवासी भूमि का आधिपत्य जिला प्रशासन के द्वारा हस्तांतरित किया जा चुका है? जिसमें खनन आदेश और खनन क्षेत्र में कितनी आदिवासी भूमि प्रभावित हुई है? क्या विधिवत् बिक्री पंजीयन किया गया है? (ख) प्रश्नांस (क) अनुसार पर्यावरण स्वीकृति में निहित शासकीय भूमि, ग्राम सोनाडीह 4.888 हे., ग्राम रसेड़ा 5.961हे., ग्राम केशडबरी 6.286हे. के बदले धारा 237(3) के तहत समतुल्य भूमि उसी ग्राम में संयंत्र/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है? यदि हॉ तो उक्त भूमि की स्थिति/प्रयोजन क्या है, बताएं ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित नुवोको सीमेंट संयंत्र ग्राम सोनाडीह तहसील बलौदाबजार को संयंत्र के खनन अनुबंध के तहत वर्तमान में किसी भी भूमि का आधिपत्य जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है परंतु पूर्व कंपनी लाफार्ज इंडिया लिमिटेड को रा. प्र. क. 346, 347, 348/ब-121 / वर्ष 2002-03 में ग्राम रसेड़ा, खपरी, सोनाडीह की भूमि को छ.ग.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 (4) भू सतही अधिकार के तहत अधिग्रहण कर कंपनी को हस्तांतरित की गई है, जिसमें ग्राम रसेड़ा के कुल 15 आदिवासियों की भूमि कुल रकबा 4.406 हेक्टेयर, ग्राम खपरी के कुल 01 आदिवासी की भूमि कुल रकबा 0.542 हेक्टेयर एवं ग्राम सोनाडीह के कुल 20 आदवासियों की भूमि कुल रकबा 15. 170 हेक्टेयर कुल 36 आदिवासी किसानों की कुल भूमि रकबा 20.118 हेक्टेयर प्रभावित हुई है। भूमिस्वामियों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्रिकय पंजीयन मेसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड के पक्ष में नहीं किया गया है चूंकि भू सतही अधिकार के प्रकरणों में विक्रय पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। नुवोको सीमेंट संयंत्र की पूर्व प्रथम कंपनी टाटा स्टील एवं आयरन कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम सोनाडीह, रसेड़ा, मेंढ़, रसेड़ी के आदिवासी कृषकों की भूमि पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया था, जिसमें ग्राम सोनाडीह के कुल 08 आदिवासियों की भूमि रकबा 1.724 हेक्टेयर, ग्राम रसेड़ा के कुल 29 आदिवासियों की भूमि रकबा 14. 808 हेक्टेयर ग्राम मेढ़ के कुल 03 आदिवासियों की भूमि रकबा 2.590 हेक्टेयर एवं ग्राम रसेड़ी के कुल 16 आदिवासियों की भूमि रकबा 9.389 हेक्टेयर कुल रकबा 28.511 हेक्टेयर जिसमें कुल 56 आदिवासी कृषकों की भूमि प्रभावित हुई है। द्वितीय कंपनी, लाफार्ज इंडिया सीमेंट संयंत्र द्वारा पंजीकृत बैनामा से कुल रकबा 4.585 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है, जिसमें कुल 03 आदिवासी कृषक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान तृतीय कंपनी, नुवोको सीमेंट संयंत्र द्वारा पंजीकृत बैनामा से कुल रकबा 10.949 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है, जिसमें कुल 02 आदिवासी कृषक प्रभावित है। क्रय की गई उक्त भूमि को कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (6) के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विधिवत पंजीयन की कार्यवाही कर क्रय की गई है। **(ख)** पर्यावरण स्वीकृति में निहित शासकीय भूमि ग्राम सोनाडीह के रकबा 4.888+6.286 हे. एवं ग्राम रसेड़ा के रकबा 5.961 हे. कुल रकबा 17.135 हे.की माईनिंग लीज

शासन द्वारा प्रदान की गई है एवं उक्त शासकीय भूमि पर भू प्रवेश की अनुमति कलेक्टर, बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा दी गई है, परंतु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि चराई (घास) मद में दर्ज है। धारा 237(3) के तहत समतुल्य भूमि उसी ग्राम में संयंत्र / कंपनी के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है।**]** (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालित नुवोको सीमेंट संयंत्र ग्राम सोनाडीह, तहसील बलौदाबाजार को शासन द्वारा प्रदत्त खनिपट्टा क्षेत्र में कुल 84.823 हेक्टे. आदिवासी भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें से 20.118 हेक्टे. आदिवासी भूमि को छ.ग. भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247 के तहत भू सतही अधिकार दिये जाने के कारण विक्रय पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तथा 64.705 हेक्टेयर आदिवासी भूमि का कंपनी के आवेदन पर न्यायालयीन आदेश के तहत विधिवत विक्रय पंजीयन किया गया है। (ख) ग्राम सोनाडीह के रकबा 11.174 हे. एवं ग्राम रसेड़ा के रकबा 5.961 हे. शासकीय भूमि में भू-प्रवेश की अनुमति दी गई है किंतु ग्राम केशडबरी में शासकीय भूमि में भू प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। उक्त शासकीय भूमि के बदले में धारा 237(3) में निहित प्रावधान के तहत समतुल्य भूमि उसी ग्राम में नुवोको सीमेंट संयंत्र/कंपनी के द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदत्त सुविधायें

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

4. (क्र. 335) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने हेतु वर्तमान में लागू नीति का विवरण क्या है? (ख) पिछले पाँच वर्षों में दुर्ग संभाग के कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किस खेल श्रेणी के अंतर्गत कौन-कौन से पदों पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है? कृपया वर्षवार एवं विभागवार विवरण दें। (ग) खिलाड़ियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ—जैसे छात्रवृत्ति, खेल प्रोत्साहन राशि, नौकरी में आरक्षण/प्राथमिकता, विशेष प्रशिक्षण, आवास/भोजन सुविधा—वर्तमान में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? (घ) क्या सरकार भविष्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नई या संशोधित नीति लाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [(क) राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने हेतु वर्तमान में ''छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 के संशोधन दिनांक 20 मई 2016 के बिन्दु ''छ'' लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती के पदों को छोड़कर, शासन के सभी विभागो के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों पर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान है।'' (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत पिछले पॉच वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान नही की गई है। **समस्त विभागों से जानकारी संकलित की जा रही है।** (ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (घ) निरंक **]** (क) राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने हेतु वर्तमान में ''छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 के संशोधन दिनांक 20 मई 2016 के बिन्दु ''छ'' लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती के पदों को छोड़कर, शासन के सभी विभागो के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों पर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान है। (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत पिछले पॉच वर्षों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान नही की गई है। जानकारी संलग्न **''प्रपत्र''** अनुसार है। (ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (घ) निरंक।

परिशिष्ट - दो

उच्च शिक्षा में ड्रापआउट

[उच्च शिक्षा]

5. (क्र. 368) श्रीमती रेणुका सिंह सरूता : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में महाविद्यालय स्तर में जीईआर एवं ड्राप आउट रेट क्या है? (ख) 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दर्ज होते हैं (ग) उच्च शिक्षा में ड्रापआउट रेट दर कम करने एवं जीईआर बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जीईआर 19.6 था। प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। नीति के प्रावधानों में ड्राप आउट की अवधारणा नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) विभाग द्वारा जीईआर बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 से पोषक शाला संपर्क अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत महाविद्यालय पोषक शालाओं के विद्यार्थियों से संपर्क कर उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक प्रवेश हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्वाध्यायी छात्रों की भी जानकारी पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु सम्मिलित किया गया है जिससे छात्र संख्या में वृद्धि से जीईआर में वृद्धि होगी। **]** (क) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जीईआर 19.6 था। प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। नीति के प्रावधानों में ड्राप आउट की अवधारणा नहीं है। (ख) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 52.40 प्रतिशत विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 में प्रवेशित है। (ग) विभाग द्वारा जीईआर बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 से पोषक शाला संपर्क अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत महाविद्यालय पोषक शालाओं के विद्यार्थियों से संपर्क कर उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक प्रवेश हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्वाध्यायी छात्रों की भी जानकारी पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु सम्मिलित किया गया है जिससे छात्र संख्या में वृद्धि से जीईआर में वृद्धि होगी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के विशेष अंकेक्षण में पाई गई आर्थिक अनियमितताएं

[सहकारिता]

6. (क्र. 528) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं के संज्ञान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कितने प्रकरण, कितनी राशि की आर्थिक अनियमितताओं के 2024 तथा 2025 में आये हैं? क्या जिला सहकारी बैंक, रायपुर की शाखाओं में हुई आर्थिक अनियमितता/ गबन के लिए 2024 से अक्टूबर, 2025 की अवधि में विशेष अंकेक्षण कराया गया है? यदि हां तो इसमें किस-किस शाखा के, कौन-कौन व्यक्ति, कितनी-कितनी राशि के लिए, किस-किस अवधि के लिए दोषी पाए गए हैं एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के विशेष अंकेक्षण में बैंक की सभी शाखाओं के लिए विशेष तकनीकी टीम का गठन कर अनियमितता की पूरी राशि का आकलन कोर बैंकिंग/ सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा का परीक्षण कर करने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं कब तक पूरी कर ली जाएगी? यदि हां तो कितनी अतिरिक्त अनियमितता पाई गई है ? (ग) बैंक के तत्कालीन अंकेक्षकों, बैंक के प्रबंधनकर्ता अधिकारियों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा

अनियमितताओं को प्रकाश में नहीं लाने के लिए किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई है तो क्यों एवं कब तक की जाएगी?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [**(क)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं के संज्ञान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के 27 प्रकरण राशि रूपये 39.49 करोड़ की आर्थिक अनियमितताओं के वर्ष 2024 एवं 2025 में आए हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर की 05 शाखाओं में आर्थिक अनियमितता / गबन के प्रकरण प्रकाश में आये थे, जिसमें से सी.ओ.डी., गंज एवं खोरपा शाखाओं में हुये आर्थिक अनियमितता/गबन के लिए वर्ष 2024 से अक्टूबर, 2025 की अवधि में विशेष अंकेक्षण कराया गया है। शेष प्रश्नांश की जानकारी **प्रपत्र-'अ'** में संलग्न है। **(ख)** जी, हां। बैंक द्वारा संयुक्त विशेष तकनीकी टीम का गठन किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** जानकारी **प्रपत्र-'ब'** में संलग्न है। **परिशिष्ट - तीन**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा राज्य को प्राप्त राशि का व्यय

[सहकारिता]

7. (क्र. 542) श्री इंद्र साव : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2021 से 24.11.2025 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी-कितनी, राशि कब-कब प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि का व्यय जिला बलौदा बाजार- भाटापारा अंतर्गत किन-किन कार्यो एवं किन-किन सामग्रियों के क्रय परऔर किन-किन स्थानों पर किया गया ? (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी राशिवार, भुगतानवार, कार्यवार, दिनांकवार, विकासखण्डवार, जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क) जनवरी, 2021 से 24.11.2025 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	गतिविधि	वित्तीय वर्ष 2020-21 (01.01.21 से 31.03.21)	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (24.11.25 तक)	गतिविधि वार योग
1.	Marketing & Inputs	500000.00	1240037.43	850022.13	1899000.00	2808000.00	144992.00	7442051.56
2.	Storage	-	1.09	-	-	-	-	1.09
3.	FPOs	-	29.90	195.66	131.95	169.67	134.14	661.32
4.	Fish FPOs (PMMSY)	-	-	-	2.08	10.02	2.51	14.61
5.	Computerization of RCS Office	-	-	-	-	37.50	22.50	60.00

6.	Weaker Section	-	12.00	-	-	-	-	12.00
योग		**500000.00**	**1240080.42**	**850217.79**	**1899134.03**	**2808217.19**	**145151.15**	**7442800.59**

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय की प्रश्नानुसार जानकारी **<u>प्रपत्र-'अ'</u>** में संलग्न है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को जनवरी, 2021 से 24.11.2025 तक राशि रू. 52.90 लाख प्राप्त हुआ है। प्राप्त राशि के व्यय की जानकारी राशिवार, भुगतानवार, कार्यवार, दिनांकवार, विकासखण्डवार **<u>प्रपत्र-'ब</u>**' में संलग्न है।

<u>परिशिष्ट - चार</u>

<u>वन धन योजना से वनोपज खरीदी की जानकारी</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 606) श्री जनक ध्रुव : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में वन धन योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन सा वनोपज कितनी मात्रा में खरीदा गया है तथा ऐसी खरीदी पर कितनी राशि व्यय की गई है? लगातार गिरती खरीदी के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर इस हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [राज्य में वन धन योजना के नाम से लघु वनोपज क्रय हेतु कोई योजना संचालित नहीं है, परंतु राज्य शासन की ओर से छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर 38 प्रजातियों की और राज्य शासन द्वारा समर्थित मूल्य पर 29 प्रजातियों कुल 67 प्रजातियों की लघु वनोपज का क्रय किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पिछले 5 वर्षो में इन 67 प्रजातियों के वनोपज की कुल मात्रा 1158578.11 क्विंटल की खरीदी संग्राहकों से की गई है और खरीदी पर कुल राशि रूपये 53812.45 लाख का व्यय किया गया है । **(विवरण संलग्र "प्रपत्र" में दर्शित है) ।** समर्थन मूल्य पर संग्रहित लघु वनोपज की मात्रा तत्समय प्रचलित इन लघु वनोपज के बाजार मूल्य पर भी निर्भर रहती है । संग्राहकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाए गए वनोपज को ही छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया जा सकता है । अतः क्रय की गई लघु वनोपज की मात्रा के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है ।**]** राज्य में वन धन योजना के नाम से लघु वनोपज क्रय हेतु कोई योजना संचालित नहीं है, परंतु राज्य शासन की ओर से छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर 38 प्रजातियों की और राज्य शासन द्वारा समर्थित मूल्य पर 29 प्रजातियों कुल 67 प्रजातियों की लघु वनोपज का क्रय किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पिछले 5 वर्षो में इन 67 प्रजातियों के वनोपज की कुल मात्रा 1510941.08 क्विंटल की खरीदी संग्राहकों से की गई और खरीदी पर कुल राशि रूपये 40478.60 लाख का व्यय किया गया है। **विवरण पुस्तकालय रखे प्रपत्र-अ, ब, स, द, ई, एवं फ अनुसार है) ।** समर्थन मूल्य पर संग्रहित लघु वनोपज की मात्रा तत्समय प्रचलित इन लघु वनोपज के बाजार मूल्य पर भी निर्भर रहती है । संग्राहकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाए गए वनोपज को ही छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया जा सकता है । अतः क्रय की गई लघु वनोपज की मात्रा के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है ।

<u>[पुनरीक्षित उत्तर]</u>

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

प्रपत्र

परिशिष्ट - एक

प्रश्न संख्या 1 (क्र. 20) की जानकारी

जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ के क्षेत्रांतर्गत वर्षवार, दुकानवार खोली गई मदिरा दुकानों के संबंध मे जानकारी

क्र.	वर्ष	खोली गई नवीन मदिरा दुकान का नाम	मदिरा दुकान का प्रकार (देशी/विदेशी/देशी कम्पोजिट/विदेशी कम्पोजिट/प्रीमियम)	दुकान मे पदस्थ कर्मचारी का नाम	कर्मचारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	2025–26 27.11.2025 तक	प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान सारंगढ़	प्रीमियम	गोपेश कुमार निराला	मुख्य विक्रयकर्ता
				दिलीप कुमार देवांगन	विक्रयकर्ता
				अजय साहू	विक्रयकर्ता
				खगेश्वर प्रसाद रात्रे	मल्टीवर्कर
				खगेश कुमार	सुरक्षाकर्मी
				भोजेश्वर यादव	सुरक्षाकर्मी

परिशिष्ट - दो
प्रश्न संख्या 4 (क्र. 335) की जानकारी

"प्रपत्र"

क्र.	वर्ष	विभाग का नाम	खिलाड़ी का नाम	संबंधित खेल	पद
1	2025	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	श्री वी. मोहन राव	सॉफ्टबॉल	आबकारी आरक्षक

Digitally signed by
RATTU LAL DHRUW
Date: 04-02-2026
18:01:48

(आर.एल.ध्रुव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग,

परिशिष्ट–तीन
प्रश्न संख्या 6 (क्र. 528) की जानकारी

प्रपत्र–'अ'

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायपुर की शाखा सी.ओ.डी (अवधि वर्ष 2016 से 2022), गंज (अवधि वर्ष 2019–2022) एवं खोरपा (अवधि वर्ष 2017–2019) में विशेष अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई आर्थिक अनियमितताओं एवं दोषी कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	शाखा का नाम	कर्मचारी नाम	पद	गबन की राशि रूपये	आर्थिक अनियमितता की राशि रूपये	विशेष अंकेक्षण में दर्शित अनियमितता/गबन की अवधि	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सी.ओ.डी.	श्री अरूण कुमार बैसवाड़े	सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल	11705671.70	16598416.70	2016-2022	1. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	1382000.00
2		श्री चन्द्रषेखर डग्गर	कनिष्ठ लिपिक	8092548.10	9883574.10		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	1500000.00
3		श्री संजय कुमार शर्मा	सहायक लेखापाल	2383732.00	3125219.00		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	1000000.00
4		श्री अशोक कुमार पटेल	शाखा प्रबंधक	275807.00	335807.00		1. पदावनति का दण्ड 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	275807.00
5		श्री विजय कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	456999.00	579999.00		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
6		श्री विजय कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	375511.00	375511.00		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
7		स्व. आनंद शर्मा (निधन)	पूर्व कनिष्ठ लिपिक	131423.00	242983.00		1. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 2. स्व. आनंद शर्मा (निधन) के पत्नी श्रीमती ज्योति शर्मा से गबन की राशि बैंक में जमा कराई गई।	131423.00

क्र.	शाखा का नाम	कर्मचारी नाम	पद	गबन की राशि रूपये	आर्थिक अनियमितता की राशि रूपये	विशेष अंकेक्षण में दर्शित अनियमितता/ गबन की अवधि	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि रूपये
8	सी.ओ.डी.	श्री पंकज सराफ	सहायक लेखापाल	3916744.90	3916744.90	2016-2022	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	3916696.00
9		श्री घनश्याम देवांगन	कनिष्ठ लिपिक	5405957.56	2703160.56		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	5405957.56
10		अश्वनी कुमार दुबे	सेवायुक्त	3126.03	3126.03		त्रुटि /अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि/ ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	
11		श्रीमती भारती महानंद	सेवायुक्त	19216.44	19216.44		त्रुटि/ अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि/ ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	
12		श्रीमती भाग्येश्वरी चौहान	कनिष्ठ लिपिक	43553.16	43553.16		त्रुटि /अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि/ ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	
13		श्रीमती जमुना तांडी नाग	सेवायुक्त	3992.88	3992.88		1. दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड । 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	
14		श्री पवन कुमार	सेवायुक्त	4694.79	4694.79		1. एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड । 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
15		शेख अब्बास	सेवायुक्त	13148.77	13148.77		त्रुटि /अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित को दिए गए अतिरिक्त ब्याज की राशि/ ब्याज प्रभारित नहीं करने वाले ऋण खातों पर ब्याज वसूल करने हेतु शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है।	
16		श्री विजय कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	6807667.58	8115260.00		1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	600000.00

क्र.	शाखा का नाम	कर्मचारी नाम	पद	गबन की राशि रूपये	आर्थिक अनियमितता की राशि रूपये	विशेष अंकेक्षण में दर्शित अनियमितता/ गबन की अवधि	की गई कार्यवाही	जमा/वसूल की गई राशि रूपये
17	गंज	श्री विजय कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	34332.00	34332.00	2019-2022	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
18		श्री हिमाशु गुप्ता	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1597647.00	8115260.00		1. सेवा से पृथक। 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत।	500000.00
19	खोरपा	श्री विजय कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	1736104.00	1736104.00	2017-2019	1. सेवा से पदच्युत, 2. पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाने में आवेदन प्रस्तुत। 3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वसूली हेतु वाद दायर।	
20		श्री देवेन्द्र कुमार साहू	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1232.88	1232.88		ब्याज राशि की वसूली की गई।	1233.00

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–'ब'

अनियमितता को प्रकाश में नहीं लाने हेतु जिम्मेदार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के तत्कालीन अंकेक्षकों एवं अधिकारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	अधिकारी / अंकेक्षक	नाम	अवधि	की गई कार्यवाही
1	तत्कालीन सांविधिक अंकेक्षक	श्री आंनद जिमनांनी एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउन्टेट दुर्ग,	2016–17	बैंक द्वारा नोटिस / कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
2		जी.ए. एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेट बलौदाबाजार	2017–18	
3		मेसर्स एस.एस. अग्रवाल एण्ड कम्पनी बिलासपुर चार्टर्ड एकाउन्टेंट बिलासपुर	2018–19, 2019–20	
4		मेसर्स पी.सी. बाफना एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट दुर्ग	2020–21	
5		मेसर्स सुनील केसवानी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट रायपुर	2021–22	
6		मेसर्स गोयल एण्ड गोलछा कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	2022–23	
7	तत्कालीन सतत् अंकेक्षक	भूपेश चौबे एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	2017–18 से 2019–2020 तक	
8		विनोद कुमार गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स	2020–21 से 2021–22 तक	
9		मेसर्स खण्डेलवाल अशोक एण्ड कम्पनी	2016–17	
10	तत्कालीन शाखा प्रबंधक (शाखा सी.ओ.डी)	श्री प्रकाश गवारले	06.03.2017 से 29.05.2021	शाखा प्रबंधक से सहायक लेखापाल के पद पर पदावनति का दण्ड
11		श्री प्रमोद शर्मा	25.05.2021 से 06.12.2022	दो वार्षिक संचयी प्रभाव से राकने का दण्ड
12	तत्कालीन मुख्य कार्यापालन अधिकारी	श्री प्रभात मिश्रा	08.01.2019 से 06.07.2019	अपेक्स बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
13		श्री एस. के. जोशी (सेवानिवृत्त)	04.07.2019 से 18.10.2022	
14		श्री एस.पी चंद्राकर (प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	28.03.2015 से 22.08.2016 20.02.2018 से 08.01.2019 18.10.2022 से 07.03.2023	बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
15	शाखा सी.ओ.डी का त्रैमासिक निरीक्षण करने वाले शाखा प्रबंधक	श्री मनीष तिवारी	मार्च 2016 मार्च 2021	बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
16		श्री परमेश्वर वर्मा	दिसंबर 2016 मार्च 2019 दिसंबर 2019 सितंबर 2020 दिसंबर 2021	
17		श्री प्रमोद शर्मा	मार्च 2017 जून 2018	

क्र	अधिकारी/अंकेक्षक	नाम	अवधि	की गई कार्यवाही
18	शाखा सी.ओ.डी का त्रैमासिक निरीक्षण करने वाले शाखा प्रबंधक	श्री भोजराम गनीर	जून 2017	बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
19		श्रीमती भावना पाठक	सितंबर 2017 सितंबर 2018 मार्च 2022	
20		श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर	मार्च 2018	
21		श्रीमती स्मिता अखिलेश	दिसंबर 2018	
22		श्री संजीव दीवान	जून 2019	
23		श्री मोहम्मद अकील	सितंबर 2019	
24		श्री चिन्ताराम पटेल	मार्च 2020	
25		श्रीमती स्नेहलता झा	दिसंबर 2020	
26		श्री विधान तिवारी	जून 2021 जून 2022	
27		श्री युवराज दुबे	सितंबर 2022	
28		श्री विश्वजीत सिंह	दिसंबर 2022	
29	शाखा खोरपा का त्रैमासिक निरीक्षण करने वाले शाखा प्रबंधक	श्री भोजराम गनीर	मार्च 2018	बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
30		श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह सेंगर	जून 2018	
31		श्री संजीव दीवान	जून 2017 सितंबर 2018 दिसंबर 2019	
32		श्री पुनीत राम साहू	सितंबर 2017	
33		श्री तेजपाल सिंह ठाकुर	दिसंबर 2017	
34		श्री शंकर लाल चौधरी	दिसंबर 2018 जून 2019	
35		श्री सुरेश कुमार वर्मा	मार्च 2019	
36		श्री रामसुख साहू	सितंबर 2019	
37	शाखा गंज का त्रैमासिक निरीक्षण करने वाले शाखा प्रबंधक	श्री मनीष तिवारी	जून 2019 दिसंबर 2020 दिसंबर 2021	बैंक द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
38		श्रीमती भावना पाठक	मार्च 2020	
39		श्री मोहम्मद अकील	सितंबर 2021	
40		श्रीमती स्नेहलता झा	मार्च 2019 जून 2021	
41		श्री विधान तिवारी	मार्च 2021	
42		श्री युवराज दुबे	जून 2020	
43		श्री विश्वजीत सिंह	सितंबर 2019 मार्च 2022	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट–चार

प्रश्न संख्या 7 (क्र. 542) की जानकारी

प्रपत्र–'अ'

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

क्र.	कार्यस्थल का नाम	कार्य का नाम	क्रय सामाग्री का नाम
1	2	3	4
1	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा (भाटापारा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलिटी चार्ज	फोन रिचार्ज
			बिजली बिल
		वन टाईम रजिस्ट्रेशन	
		स्टेशनरी	लोक सेवा केंद्र फोटो कापी
		यात्रा भत्ता	
		कार्यालयीन व्यय	कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत कम्प्यूटर कय
			कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत फर्नीचर कय
		कृषि केन्द्र के लिए बीज कय	सब्जी बीज
		कृषि केन्द्र के लिए बीज कय	सब्जी बीज
		कृषि केन्द्र के लिए बीज कय	कीटनाशक एवं खाद्यान्न बीज (गेंहूँ एवं सरसों)
		कृषि केन्द्र के लिए बीज कय	यूरिया एवं नैनों यूरिया खाद कय
		कृषि केन्द्र के लिए बीज कय	डीलरशीप लाईलेंस हेतु
2	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार (बलौदाबाजार)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		फोन रिचार्ज	
		कच्चा माल कय	दाल कच्चा माल के लिए
		बिजली बिल एवं बैठक व्यय तथा कंटीजेंनसी व्यय	
		कार्यालयीन व्यय	कृषि सेवा केंद्र के लिए लाईट, टेबल, रेक, कुर्सी आदि व्यय
			(कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत कम्प्यूटर कय, टेबल कय , कुर्सी कय, आलमारी आदि कार्यालय मेंटेनेंस
3.	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा (सिमगा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलिटी चार्ज	बिजली बिल
		फोन रिचार्ज	
		फोटो कॉपी एवं कंटेजेंसी व्यय	
		स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	
		वन टाईम रजिस्ट्रेशन	
		यात्रा एवं बैठक व्यय	
		कार्यालय साफ–सफाई	
		कार्यालयीन व्यय	कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत कम्प्यूटर कय
			फर्नीचर कय
		कृषि केंद्र सिमगा	कीटनाशक दवाई के लिए
		कृषि केंद्र सिमगा	कीटनाशक दवाई के लिए
4	नवबृज शाकम्भरी कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–पलारी (देवसुन्दरा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		फोन रिचार्ज	
		कार्यालयीन व्यय	(कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत कम्प्यूटर कय, टेबल कय , कुर्सी कय, आलमारी आदि कार्यालय मेंटेनेंस
		निर्वाचन डी.डी. व्यय	
		बिजली बिल एवं बैठक व्यय तथा कंटीजेंनसी व्यय	

5	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा (भाटापारा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		फोन रिचार्ज	
		यूटिलिटी चार्ज	बिजली बिल
		यात्रा एवं बैठक व्यय	
6	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा (सिमगा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलाईटीज चार्ज	बिजली बिल एवं मोबाईल रिचार्ज
		स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	
		यात्रा एवं बैठक व्यय	
7	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार (बलौदाबाजार)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		फोन रिचार्ज	
		सी0 ए0 वन टाईम रजिस्ट्रेशन	
		बिजली बिल	
		स्टेशनरी	
		नास्ता व्यय	
8	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा (गुड़ेलिया)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलिटी चार्ज	बिजली बिल और मोबाईल रिचार्ज
		स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	
		यात्रा एवं बैठक व्यय	
		कृषि केन्द्र के लिए	खाद कय
		कृषि केन्द्र के लिए	खाद कय
		कृषि केन्द्र के लिए	बीज कय
		कृषि केन्द्र के लिए	दवाई कय हेतु
9	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा (सिमगा)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलाईटीज चार्ज	बिजली बिल एवं मोबाईल रिचार्ज
		स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	
		यात्रा एवं बैठक व्यय	
10	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार (दिनांक 01.04.2025 से 24.11.2025 तक) (बलौदाबाजार)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		फोन रिचार्ज	
		शेयर प्रमाण पत्र एवं फ्लैक्स पोस्टर	
11	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा (दिनांक 01.04.2025 से 24.11.2025 तक) (गुड़ेलिया)	स्थापना व्यय	वेतन
		कार्यालय किराया	
		यूटिलिटी चार्ज	बिजली बिल एवं मोबाईल रिचार्ज
		स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	
		यात्रा एवं बैठक व्यय	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर.

प्रपत्र–'ब'

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

क्र.	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	प्राप्त राशि (रू. मे)	कार्य का नाम	व्यय राशि (रू. मे)	भुगतान का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	भाटापारा	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा	910391.00	स्थापना व्यय	150000.00	20.07.2022
					25000.00	30.08.2022
					50000.00	03.10.2022
					25000.00	23.11.2022
					25000.00	30.11.2022
					25000.00	30.12.2022
					60000.00	20.07.2022
					10000.00	30.12.2022
					10000.00	10.01.2023
					20000.00	03.03.2023
					20000.00	13.03.2023
				कार्यालय किराया	4000.00	30.10.2022
					8000.00	29.11.2022
					4000.00	30.11.2022
					8000.00	03.03.2023
					6600.00	30.07.2022
				यूटिलिटी चार्ज	5994.00	23.03.2023
					6000.00	16.06.2022
				वन टाईम रजिस्ट्रेशन	40000.00	05.06.2023
				स्टेशनरी	5685.00	16.06.2022
				यात्रा भत्ता	8712.00	30.08.2022
				कार्यालयीन व्यय	51806.00	30.07.2022
					47849.00	30.07.2022
				कृषि केन्द्र के लिए बीज क्रय	5930.00	09.05.2023
				कृषि केन्द्र के लिए बीज क्रय	4089.00	09.05.2023
				कृषि केन्द्र के लिए बीज क्रय	41570.00	29.11.2022
				कृषि केन्द्र के लिए बीज क्रय	221862.00	05.06.2023
				कृषि केन्द्र के लिए बीज क्रय	15000.00	09.11.2022
		योग	**910391.00**	**योग**	**905097.00**	
2	बलौदाबाजार	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार	572000.00	स्थापना व्यय	150000.00	04.04.2024
					60000.00	30.03.2023
				कार्यालय किराया	24000.00	04.04.2024
				फोन रिचार्ज	3000.00	04.04.2024
				कच्चा माल क्रय	175000.00	07.03.2024
				बिजली बिल एवं बैठक व्यय तथा कंटीजेंनसी व्यय	3000.00	04.04.2024
				कार्यालयीन व्यय	57000.00	28.03.2023
					100000.00	30.03.2023
		योग	**572000.00**	**योग**	**572000.00**	
3	सिमगा	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा	768698.00	स्थापना व्यय	150000.00	03.08.2022
					50000.00	07.11.2022
					50000.00	24.04.2023
					50000.00	23.05.2023
					60000.00	03.08.2022
					60000.00	24.04.2023
				कार्यालय किराया	5000.00	14.09.2022
					8000.00	07.11.2022
					7500.00	24.04.2023
					15500.00	19.06.2023
				यूटिलिटी चार्ज	6000.00	14.09.2022
				फोन रिचार्ज	6248.00	14.09.2022
				फोटो कॉपी एवं कंटेजेंशी व्यय	6500.00	14.09.2022
				स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	6000.00	14.09.2022
				वन टाईम रजिस्ट्रेशन	40000.00	07.06.2023
				यात्रा एवं बैठक व्यय	6450.00	07.11.2022
				कार्यालय साफ–सफाई	5350.00	07.11.2022
				कार्यालयीन व्यय	55150.00	04.08.2023
					44800.00	04.08.2023
				कृषि केंद्र सिमगा	70000.00	16.09.2023
				कृषि केंद्र सिमगा	65990.00	12.10.2023
		योग	**768698.00**	**योग**	**768488.00**	

4	पलारी	नवबृज शाकम्भरी कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–पलारी	543423.00	स्थापना व्यय	150000.00	24.10.2024
					60000.00	24.10.2024
				कार्यालय किराया	24000.00	28.10.2024
				फोन रिचार्ज	3000.00	24.10.2024
				कार्यालयीन व्यय	100000.00	25.10.2024
				निर्वाचन डी.डी. व्यय	1000.00	25.10.2024
				बिजली बिल एवं बैठक व्यय तथा कंटीजेंनसी व्यय	2000.00	24.10.2024
	योग		**543423.00**	योग	**340000.00**	
5	भाटापारा	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा	261827.00	स्थापना व्यय	157500.00	06.01.2024
					59333.00	06.01.2024
				कार्यालय किराया	24000.00	06.01.2024
				फोन रिचार्ज	6000.00	06.01.2024
				यूटिलिटी चार्ज	5994.00	06.01.2024
				यात्रा एवं बैठक व्यय	9000.00	06.01.2024
	योग		**261827.00**	योग	**261827.00**	
6	सिमगा	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा	249000.00	स्थापना व्यय	150000.00	23.02.2024
					60000.00	23.02.2024
				कार्यालय किराया	24000.00	23.02.2024
				यूटिलाईटीज चार्ज	6000.00	27.03.2024
				स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	3000.00	27.03.2024
				यात्रा एवं बैठक व्यय	6000.00	27.03.2024
	योग		**249000.00**	योग	**249000.00**	
7	बलौदाबाजार	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार	528000.00	स्थापना व्यय	150000.00	02.09.2024
					150000.00	19.03.2025
					60000.00	30.08.2024
					60000.00	05.04.2025
				कार्यालय किराया	24000.00	05.09.2024
					24000.00	15.04.2025
				फोन रिचार्ज	6000.00	05.09.2024
				सी0 ए0 वन टाईम रजिस्ट्रेशन	40000.00	30.09.2024
				बिजली बिल	6000.00	05.09.2024
				स्टेशनरी	6000.00	05.09.2024
				नास्ता व्यय	2000.00	05.09.2024
	योग		**528000.00**	योग	**528000.00**	
8	भाटापारा	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा	678215.00	स्थापना व्यय	157500.00	16.12.2024
					60000.00	19.12.2024
				कार्यालय किराया	24000.00	16.12.2024
				यूटिलिटी चार्ज	5998.00	16.12.2024
				स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	6000.00	05.02.2025
				यात्रा एवं बैठक व्यय	7717.00	16.12.2024
				कृषि केन्द्र के लिए	100398.00	23.05.2025
				कृषि केन्द्र के लिए	233784.00	02.07.2025
				कृषि केन्द्र के लिए	71546.00	17.06.2025
				कृषि केन्द्र के लिए	11272.00	12.08.2025
	योग		**678215.00**	योग	**678215.00**	
9	सिमगा	उज्जवल कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–सिमगा	253000.00	स्थापना व्यय	150000.00	06.12.2024
					60000.00	06.12.2024
				कार्यालय किराया	24000.00	19.12.2024
				यूटिलाईटीज चार्ज	6000.00	19.12.2024
				स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	6000.00	19.12.2024
				यात्रा एवं बैठक व्यय	7000.00	19.12.2024
	योग		**253000.00**	योग	**253000.00**	
10	बलौदाबाजार	किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–बलौदाबाजार (दिनांक 01.04.2025 से 24.11.2025 तक)	252000.00	स्थापना व्यय	150000.00	25.09.2025
					60000.00	14.10.2025
				कार्यालय किराया	24000.00	11.10.2025
				फोन रिचार्ज	6000.00	17.09.2025
				शेयर प्रमाण पत्र एवं फ्लैक्स पोस्टर	12000.00	17.09.2025
	योग		**252000.00**	योग	**252000.00**	
11	भाटापारा	प्रगतिशील कृषि उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित–भाटापारा (दिनांक 01.04.2025 से 24.11.2025 तक)	273373.00	स्थापना व्यय	165375.00	17.06.2025
					63000.00	17.06.2025
				कार्यालय किराया	24000.00	19.06.2025
				यूटिलिटी चार्ज	5998.00	19.06.2025
				स्टेशनरी एवं अन्य व्यय	6000.00	01.07.2025
				यात्रा एवं बैठक व्यय	9000.00	01.07.2025
	योग		**273373.00**	योग	**273373.00**	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्र.	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	15/12/2025	ता.प्र.सं.–01 (क्र.–227)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
	दिनांक 15/12/2025 का शुद्धि पत्र			
2	16/12/2025	ता.प्र.सं.–07 (क्र.–381)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
3	16/12/2025	ता.प्र.सं.–08 (क्र.–327)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
4	16/12/2025	ता.प्र.सं.–11 (क्र.–55)	उच्च शिक्षा	संशोधन
5	**दिनांक 16/12/2025 का शुद्धि पत्र**			
6	**दिनांक 17/12/2025 का शुद्धि पत्र**			

प्रश्नों में संशोधन

मानननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 15/12/2025 की प्रश्नोत्तर सूची में पृष्ठ क्रमांक ...01..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (* क्रमांक 227) के उत्तर में, निम्नानुसार आंशिक संशोधन करना चाहती हूं :—

'ख' में दिए गए उत्तर वर्ष अवधि में प्रश्नावधि में उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2021—22 में रू. 6.00 करोड़ प्रेषित की गयी है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:—

क्रं.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान
3	2021—22	6.50 करोड़

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग

<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–06 (क्र.–20) का पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.12.2025 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 5(परिशिष्ट-चार पृ. 17-18) में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 07 (कमांक 381) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" **के संलग्न प्रपत्र–"अ"** एवं भाग "ख" के **संलग्न प्रपत्र–"ब"**

के स्थान पर कृपया **संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र–"अ"** एवं **संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र–"ब"** पढ़ा जावें।

(टंकराम वर्मा)
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(टंक राम वर्मा)
मंत्री, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,
पुनर्वास, उच्च शिक्षा विभाग

पुनरीक्षित प्रपत्र – अ

प्रपत्र – अ

माह अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति की जानकारी

क्रं0	जिले का नाम	क्षति का प्रकार						
		सार्वजनिक संपत्ति की संख्या	जनहानि	मकान क्षति		पशुहानि	फसल क्षति (किसानों की संख्या)	फसल क्षति का रकबा (हे0 में)
				आंशिक	पूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्तर	259	7	736	238	17	557	361.57
2	दंतेवाड़ा	180	0	1012	599	51	340	541.56
3	सुकमा	99	3	330	10	72	0	0.00
4	बीजापुर	6	2	5	18	3	1	0.80
5	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0.00
6	कांकेर	0	0	0	0	0	0	0.00
7	कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0	0.00
योग		544	12	2083	865	143	898	903.93

(हस्ताक्षर)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
छ ग. मंत्रालय रायपुर

पुनरीक्षित प्रपत्र – ब

प्रपत्र – ब

माह अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति हेतु स्वीकृत/ वितरित मुआवजा की जानकारी

क्रं0	जिले का नाम	क्षति का प्रकार					स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	वितरीत राशि (लाख रूपये में)
		जनहानि	मकान क्षति		पशुहानि	फसल क्षति (किसानों की संख्या)		
			आंशिक	पूर्ण				
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	बस्तर	7	736	238	17	557	315.81	315.81
2	दंतेवाड़ा	0	1012	599	51	340	863.19	863.19
3	सुकमा	3	330	10	72	0	44.67	44.67
4	बीजापुर	2	5	18	3	1	24.39	24.39
5	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0
6	कांकेर	0	0	0	0	0	0	0
7	कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0	0
	योग	12	2083	865	143	898	1248.06	1248.06

<u>जिलो को आबंटित राशि</u>

1 राज्य आपदा मोचन निधि – रूपये 44.15 करोड़

2 मुख्यमंत्री सहायता कोष – रूपये 19.52 करोड़

अनुभाग अधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
छ.ग. मंत्रालय रायपुर

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक **16.12.2025** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **05** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **08** (***क्रमांक 327**) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँः-

उत्तर (ख) में अंकित – ''खरीदी केन्द्रों से धान 31 मार्च 2025 तक उठाव करने के निर्देश थे।'' के स्थान पर – ''धान खरीदी की अंतिम तिथि के पश्चात् मार्कफेड द्वारा खरीदी केन्द्र में भण्डारित समस्त धान को एक माह के भीतर मिलर एवं परिवहनकर्ताओं के माध्यम से उठाव कराने के निर्देश थे।

इसी प्रकार प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग '' ग '' के प्रपत्र '' ब ''

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/**पुनरीक्षित** उत्तर पढ़ा जावें:-

जानकारी संलग्न प्रपत्र '' ब'' अनुसार है।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा. मंत्री)

(दयालदास बघेल)
मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

धान उपार्जन वर्ष 2024–25 में अत्यधिक शार्टेज के विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

(मात्रा मे. टन में राशि लाख में)

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	नोटिस जारी	
				मात्रा	राशि			आदेश क्र.	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालोद	अरकार	अरकार	23.61	5.47	श्री खोमूलाल साहू	कम्प्यूटर ऑप.	1455	05/07/2025
2	बालोद	कंवर	कंवर	35.93	8.34	श्री बाबूलाल गजेन्द्र	सहा. समिति प्रबंधक	1452	05/07/2025
3	बालोद	करहीभदर	करहीभदर	28.28	6.53	श्री लोकनाथ साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1389	05/07/2025
4	बालोद	करहीभदर	लिमोरा	16.25	3.75	श्री लोकनाथ साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1390	05/07/2025
5	बालोद	कोचवाही	कोचवाही	17.49	4.05	श्री हरबंश कुमार नेताम	सहा. समिति प्रबंधक	1407	05/07/2025
6	बालोद	खुंदनी	खुंदनी	34.93	8.09	श्री चेतन साहू	कम्प्यूटर ऑप.	1454	05/07/2025
7	बालोद	घोघोपुरी	घोघोपुरी	28.45	6.58	श्री शिवकुमार निषाद	सहा. समिति प्रबंधक	1409	05/07/2025
8	बालोद	तरौद	तरौद	29.98	6.92	श्री भीषम चन्द्राकर	सहा. समिति प्रबंधक	1379	05/07/2025
9	बालोद	धनेली	धनेली	35.51	8.22	श्री मोरध्वज साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1408	05/07/2025
10	बालोद	धनोरा	धनोरा	77.24	17.88	श्री मनहरण लाल साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1402	05/07/2025
11	बालोद	निपानी	निपानी	28.96	6.70	श्री दीनदयाल साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1387	05/07/2025
12	बालोद	परसोदा	परसोदा	23.99	5.53	श्री यशवंत साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1386	05/07/2025
13	बालोद	पलारी	पलारी	71.37	16.55	श्री अमित सिन्हा	कम्प्यूटर ऑप.	1451	05/07/2025
14	बालोद	पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	26.92	6.22	श्री यशवंत साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1388	05/07/2025
15	बालोद	पोंडी	पोंडी	31.88	7.36	श्री मनोज कुमार साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1384	05/07/2025
16	बालोद	बरही	बरही	54.79	12.68	श्री लालूराम साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1392	05/07/2025
17	बालोद	बरही	हर्राठेमा	28.84	6.69	श्री लालूराम साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1393	05/07/2025
18	बालोद	बासीन	बासीन	29.68	6.87	श्री उत्तम प्रधान	कम्प्यूटर ऑप.	1453	05/07/2025
19	बालोद	बेलमांड	बेलमांड	22.78	5.26	श्री योगेश कुमार वाहिले	सहा. समिति प्रबंधक	1385	05/07/2025
20	बालोद	मिर्रीटोला	मिर्रीटोला	47.89	11.07	श्री पवन लाल साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1406	05/07/2025
21	बालोद	मोखा	मोखा	70.35	16.30	श्री राधेश्याम साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1403	05/07/2025
22	बालोद	लाटाबोड	लाटाबोड	38.79	8.94	श्री फूलचंद उइके	सहा. समिति प्रबंधक	1382	05/07/2025
23	बालोद	लाटाबोड	खपरी	14.04	3.24	श्री फूलचंद उइके	सहा. समिति प्रबंधक	1383	05/07/2025
24	बालोद	सांकरा (ज)	सांकरा (ज)	54.27	12.49	श्री सुशील दास मनिकपु	सहा. समिति प्रबंधक	1380	05/07/2025
25	बालोद	सांकरा (ज)	दरबारी नवागांव	24.64	5.68	श्री सुशील दास मनिकपु	सहा. समिति प्रबंधक	1381	05/07/2025
26	बालोद	सांकरा क	सांकरा क	35.05	8.12	श्री प्रकाश कुमार सिघाति	सहा. समिति प्रबंधक	1391	05/07/2025
27	बालोद	सुर्रा	सुर्रा	36.83	8.54	श्री गौतमसिंह चंदेल	सहा. समिति प्रबंधक	1395	05/07/2025
28	बालोद	सोरर	सोरर	26.77	6.17	श्री भगतराम साहू	सहा. समिति प्रबंधक	1394	05/07/2025
29	बालोद	हितेकसा	हितेकसा	19.55	4.53	श्री चुम्मन लाल ईस्दा	समिति प्रबंधक	1404	05/07/2025
30	बालोद	हितेकसा	नारागाँव	12.50	2.90	श्री चुम्मन लाल ईस्दा	समिति प्रबंधक	1405	05/07/2025
		संजारी बालोद योग		1,027.55	237.67				

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 16/12/2025 की प्रश्नोत्तर सूची में पृष्ठ क्रमांक 07 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 55) के उत्तर से संबंधित प्रपत्र 'स' के स्थान पर संलग्न संशोधित प्रपत्र–स पढ़ा जावे।

(टंकराम वर्मा)
मंत्री
उच्च शिक्षा विभाग

संशोधित प्रपत्र–स

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं दिनांक	जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुआ है।	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही की अद्यतन जानकारी
1.	1. श्री अंकित अग्रवाल इतवारी बाजार, खैरागढ़ (छ.ग.) आवेदन दिनांक–22.09.2025 2. श्री पी.पी. विश्वास, हुडको, भिलाई आवेदन दिनांक–23.09.2025	श्री विजय कुमार सिंह सहायक कुलसचिव	नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित जॉच विषयक्।	विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2.	1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, सहायक कुलसचिव, इं.क.सं.वि. खैरागढ़ (छ.ग.) आवेदन दिनांक–05.06.2025	डॉ. जे.मोहन इंफरमेंशन साईटिस्ट	नियुक्ति एवं योग्यता से संबंधित जॉच विषयक्।	विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

15.12.2025

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, म
अटल नगर, नवा रायपु

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–15 (क्र.–265)** एवं **तारांकित प्रश्न संख्या–24 (क्र.–287) का पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 15 दिसम्बर, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

<u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धि को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–05 (क्र.–606) का पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा